



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क : सा. 1173/2024

दिनाङ्क : 14 अगस्त, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए सत्र 2023-24 में अध्ययन-अध्यापन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापकों/व्याख्याताओं को व्याख्यान के लिए दिनांक 14 अगस्त, 2024 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र.सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित चिह्नान्
1	वेद वेदांग संकाय	ज्योतिष-सिद्धान्त	आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. गोपाल पाठक कारखेदकर
2		ज्योतिष	अनारक्षित	डॉ. उपेन्द्र कुमार पाण्डेय
3		ज्योतिष (खगोलशास्त्र एस्ट्रोनामी)	सामान्य	डॉ. मधुसूदन तिवारी
4		प्राचीन व्याकरण	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. श्रवणदास जी वैष्णव
5		नव्य व्याकरण	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. रविप्रकाश पाण्डेय
6		नव्य व्याकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री आत्मानन्द सरस्वती
7		धर्मशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. जगदम्बिका प्रसाद गिरि
8	साहित्य संस्कृति संकाय	पुराणेतिहास	अनारक्षित	श्री अनुल कुमार पाण्डेय
9		पुराणेतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. उमापति उपाध्याय
10		पुराणेतिहास	अनारक्षित	सुश्री अर्पिता मिश्रा
11		प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	श्री अखिलेश कुमार
12		साहित्य	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ० श्रीभाष्यम पाण्डेय
13		साहित्य	अनारक्षित	डॉ. बालेश्वर झा
14		साहित्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री देवेन्द्र कुमार यादव
15		साहित्य (संगीत-सितार)	अनारक्षित	डॉ. शैल पाण्डेय
16		साहित्य (संगीत-गायन)	अनारक्षित	डॉ. श्रुति शाश्वत उपाध्याय
17		साहित्य (संगीत-तबला)	अनुसूचित जाति	श्री प्रशान्त कुमार
18	दर्शन संकाय	न्याय वैशेषिक	अनुसूचित जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय
19		सांख्ययोग तन्त्रागम (शैवागम)	सामान्य	श्री विवेक कुमार उपाध्याय
20		आगम	आर्थिक रूप से कमजोर	डॉ० चन्द्रशेखर सिंह
21		योगतन्त्र	सामान्य	श्री अम्बति लक्ष्मणराव शास्त्री
22		वेदान्त (शांकर वेदान्त)	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. अनन्त कुमार पाण्डेय
23		रामानुज वेदान्त	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ० श्यामाकान्त तिवारी
24	श्रमण विद्या संकाय	जैन दर्शन	अनुसूचित जाति	श्री श्रवण कुमार
25		संस्कृत विद्या	अनारक्षित	डॉ. देवात्मा दूवे
26		संस्कृत विद्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. शिल्पी गुप्ता
27		संस्कृत विद्या	अनुसूचित जाति	डॉ. जसवीर आर्य
28		पालि	अनारक्षित	डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव

29	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री जयप्रकाश
30		शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. पुष्पा यादव
31		शिक्षाशास्त्र	आर्थिक रूप से कमजोर	श्री मनु मिश्र
32		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. सत्यप्रकाश सोनकर
33		शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. कृष्ण कुमार
34		ग्रंथालय विज्ञान	सामान्य	श्री निधीश त्रिपाठी
35		भाषा विज्ञान	अनुसूचित जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. प्रेमनिवास सिन्हा
36		भाषा विज्ञान (ग्रीक/लैटिन)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री मोहम्मद सालिम
37		भाषा विज्ञान	अनुसूचित जाति	डॉ. सोहन कुमार
38		रूसी	अनुसूचित जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. धर्मप्रकाश मिश्र
39		नेपाली	अनारक्षित	डॉ. अमित थापा
40		हिन्दी	अनारक्षित	डॉ. सुमिता
41		तिब्बती	अनारक्षित	श्री पशंग डोलकर गुवांग
42		अंग्रेजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री आशुतोष प्रताप
43		जर्मन	अनारक्षित	श्री अमित कुमार सैनी
44		विज्ञान	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ० शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये रुपये 400/- (चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान जो प्रति माह रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (विल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. परीक्षा नियंत्रक
4. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी.।
5. सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 12/8/2024

दिनांक : 03.09.2024

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए सत्र 2023-24 में अध्ययन-अध्यापन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापक/व्याख्याता को व्याख्यान के लिए दिनांक 03 सितम्बर, 2024 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग में आमंत्रित किया जाता है -

क्र.सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान्
1.	वेद वेदांग संकाय	वेद	अनारक्षित	डॉ. अनन्तेश्वर कुमार मिश्र

- चयनित अध्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये रूपये 400/- (चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान जो प्रति माह रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर कुलपति महोदयकी स्वीकृति प्राप्त है।

(Signature)
03/9/2024

(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.

(Signature) कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- परीक्षा नियंत्रक
- समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी.।
- सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
- आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
- सम्बद्ध पत्रावली।

(Signature)

(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.

कुलसचिव

(Signature)



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा.1382/2024

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक : 16 सितम्बर, 2024

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापकों/व्याख्याताओं को व्याख्यान के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2024 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र. सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वानों का नाम
1	वेद वेदांग संकाय	सिद्धान्त ज्योतिष	अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	श्री सुभाष कुमार झा
2		वेद	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. किरन
3	साहित्य संस्कृत संकाय	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	डॉ. आराधना देवी
4	श्रमण विद्या संकाय	पालि एवं थेरवाद	अनुसूचित जाति	श्री सूर्यभानु कुमार
5		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	श्री लेखमणी त्रिपाठी
6		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	श्री राजीव कुमार नेगी
7	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री संतोष कुमार
8		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. गोपाल प्रसाद
9		सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर	डॉ. प्रीति वर्मा
10		सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व	अनुसूचित जाति	श्री चन्द्रभान
11		फ्रेंच	अनारक्षित	सुश्री स्रग्धरा शर्मा

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये रुपये 400/- (चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान जो प्रति माह रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. समन्वयक, आई.ब्यू.ए.सी.।
5. सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

16/9/2024

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

Kumar



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा.1382/2024

दिनांक : 16 सितम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापकों/व्याख्याताओं को व्याख्यान के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2024 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र. सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वानों का नाम
1	वेद वेदांग संकाय	सिद्धान्त ज्योतिष	अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	श्री सुभाष कुमार झा
2		वेद	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. किरन
3	साहित्य संस्कृति संकाय	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	डॉ. आराधना देवी
4	श्रमण विद्या संकाय	पालि एवं थेरवाद	अनुसूचित जाति	श्री सूर्यभान कुमार
5		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	श्री लेखमणी त्रिपाठी
6		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	श्री राजीव कुमार नेगी
7	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री संतोष कुमार
8		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. गोपाल प्रसाद
9		सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर	डॉ. प्रीति वर्मा
10		सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व	अनुसूचित जाति	श्री चन्द्रभान
11		फ्रेंच	अनारक्षित	सुश्री सख्धरा शर्मा

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये रुपये 400/- (चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान जो प्रति माह रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- परीक्षा नियंत्रक
- समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी।
- सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
- आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
- सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

16/9/2024

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सहमति-पत्र

सेवा में,

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

.....
.....

विश्वविद्यालयीय पत्रांक दिनांक के द्वारा दिये गये निर्देशों/नियमों के अधीन शर्तें स्वीकार है। तदनुसार अतिथि अध्यापक के रूप में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन/कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ-पत्र के साथ उपस्थित हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि व्याख्यान हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

1. डॉ. श्री/श्रीमती
2. पुत्र/पुत्री
3. स्थायी पता
4. अस्थायी पता
5. मोबाइल नं.
6. ईमेल आई.डी.
7. बैंक खाता संख्या
8. बैंक शाखा का नाम
9. आई.एफ.एस.सी. कोड
10. पैन नं

दिनांक:-

हस्ताक्षर



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क : सा. 1173/2024

दिनाङ्क : 14 अगस्त, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए सत्र 2023-24 में अध्ययन-अध्यापन हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापकों/व्याख्याताओं को व्याख्यान के लिए दिनांक 14 अगस्त, 2024 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र.सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान्
1	वेद वेदांग संकाय	ज्योतिष-सिद्धान्त	आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. गोपाल पाठक कारखेदकर
2		ज्योतिष	अनारक्षित	डॉ. उपेन्द्र कुमार पाण्डेय
3		ज्योतिष (खगोलशास्त्र एस्ट्रोनामी)	सामान्य	डॉ. मधुसूदन तिवारी
4		प्राचीन व्याकरण	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. श्रवणदास जी वैष्णव
5		नव्य व्याकरण	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. रविप्रकाश पाण्डेय
6		नव्य व्याकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री आत्मानन्द सरस्वती
7		धर्मशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. जगदम्बिका प्रसाद गिरि
8	साहित्य संस्कृति संकाय	पुराणेतिहास	अनारक्षित	श्री अतुल कुमार पाण्डेय
9		पुराणेतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. उमापति उपाध्याय
10		पुराणेतिहास	अनारक्षित	सुश्री अर्पिता मिश्रा
11		प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	श्री अखिलेश कुमार
12		साहित्य	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ0 श्रीभाष्यम पाण्डेय
13		साहित्य	अनारक्षित	डॉ. बालेश्वर झा
14		साहित्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री देवेन्द्र कुमार यादव
15		साहित्य (संगीत-सितार)	अनारक्षित	डॉ. शैल पाण्डेय
16		साहित्य (संगीत-गायन)	अनारक्षित	डॉ. श्रुति शाश्वत उपाध्याय
17		साहित्य (संगीत-तबला)	अनुसूचित जाति	श्री प्रशान्त कुमार
18	दर्शन संकाय	न्याय वैशेषिक	अनुसूचित जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. दीपक कुमार पाण्डेय
19		सांख्ययोग तन्त्रागम (शैवागम)	सामान्य	श्री विवेक कुमार उपाध्याय
20		आगम	आर्थिक रूप से कमजोर	डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह
21		योगतन्त्र	सामान्य	श्री अम्बति लक्ष्मणराव शास्त्री
22		वेदान्त (शांकर वेदान्त)	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. अनन्त कुमार पाण्डेय
23		रामानुज वेदान्त	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ0 श्यामाकान्त तिवारी
24	श्रमण विद्या संकाय	जैन दर्शन	अनुसूचित जाति	श्री श्रवण कुमार
25		संस्कृत विद्या	अनारक्षित	डॉ. देवात्मा दूबे
26		संस्कृत विद्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. शिल्पी गुप्ता
27		संस्कृत विद्या	अनुसूचित जाति	डॉ. जसवीर आर्य
28		पालि	अनारक्षित	डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव

29	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री जयप्रकाश
30		शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. पुष्पा यादव
31		शिक्षाशास्त्र	आर्थिक रूप से कमजोर	श्री मनु मिश्र
32		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. सत्यप्रकाश सोनकर
33		शिक्षाशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. कृष्ण कुमार
34		ग्रंथालय विज्ञान	सामान्य	श्री निधीश त्रिपाठी
35		भाषा विज्ञान	अनुसूचित जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. प्रेमनिवास सिन्हा
36		भाषा विज्ञान (ग्रीक/लैटिन)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री मोहम्मद सालिम
37		भाषा विज्ञान	अनुसूचित जाति	डॉ. सोहन कुमार
38		रूसी	अनुसूचित जाति संवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ. धर्मप्रकाश मिश्र
39		नेपाली	अनारक्षित	डॉ. अमित थापा
40		हिन्दी	अनारक्षित	डॉ. सुमिता
41		तिब्बती	अनारक्षित	श्री पशांग डोलकर गुवांग
42		अंग्रेजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री आशुतोष प्रताप
43		जर्मन	अनारक्षित	श्री अमित कुमार सैनी
44		विज्ञान	अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण (सामान्य)	डॉ० शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये रुपये 400/- (चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान जो प्रति माह रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. परीक्षा नियंत्रक
4. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी.।
5. सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

[Handwritten Signature]
14/10/2024

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सहमति-पत्र

सेवा में,

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

.....

.....

विश्वविद्यालयीय पत्रांक दिनांक के द्वारा दिये गये निर्देशों/नियमों के अधीन शर्तें स्वीकार हैं। तदनुसार अतिथि अध्यापक के रूप में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन/कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ-पत्र के साथ उपस्थित हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि व्याख्यान हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

1. डॉ. श्री/श्रीमती
2. पुत्र/पुत्री
3. स्थायी पता
4. अस्थायी पता
5. मोबाइल नं.
6. ईमेल आई.डी.
7. बैंक खाता संख्या
8. बैंक शाखा का नाम
9. आई.एफ.एस.सी. कोड
10. पैन नंं

दिनांक:-

हस्ताक्षर



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 2080 / 2025

दिनांक 28 जनवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापक/व्याख्याता को व्याख्यान के लिए कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र. सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान का नाम
1	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय.	नेपाली	अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री राम जीवन राई

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये प्रति माह रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति की के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. सम्बन्धक, आई.क्यू.ए.सी।
5. सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
6. आर्थिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. सम्बद्ध प्रशासनी।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.
कुलसचिव





सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 3117 / 2025

दिनांक 09 अप्रैल, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापक/व्याख्याता को व्याख्यान के लिए कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई 2025 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय के अन्तर्गत विभाग/विषय में आमंत्रित किया जाता है -

क्र. सं.	संकाय का नाम	विभाग/विषय का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान का नाम
1	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	अंग्रेजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	शिवानी शर्मा

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के समाप्ति से पहले भी इस आमंत्रण को समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2024-25 के लिये प्रति माह रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
- परीक्षा नियंत्रक।
- समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी.।
- सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
- आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
- सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.
कुलसचिव

